Sdo Hawa

उनवान .... अरुण कुमार बनाम .... धनराज वगैरह ....

ारा .... मुकदमा नं. 59/2025 .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
06/08/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमा न. 137/10 तथा 100/12 मे निर्णय क्रमश: दिनांक 1/2/2018 तथा 28/2/2017 को परस्पर विरोधाभासी निर्णय देते हुए एक ही आराजी अलग - अलग पक्षकारो के नाम कर दी। जिसमे से 28.02.17 की पालना हो गई तथा 1/2/2018 की पालना नही हुई। तथा 28.2.17 की पालना का आराजी हीरालाल, धनराज, मुकेश, महावीर व रामकरण के नाम दर्ज हो गई। R.A.A. ने अपील स्वीकार कर दोनो निर्णय अपास्त कर पुन सुनवाई के लिए आदेशित किया। उक्त विवादित आराजी पर धारा 144 CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है तथा निर्णय दिनांक 28.02.2017 की स्थिति बहाल करने के लिए आदेशित किया है। चूंकि अभी इस आदेश की पालना नही हुई है तथा जमाबंदी व राजस्व अभिलेख मे 28.02.2017 के निर्णय अनुसार दर्ज है। इस आराजी के खुर्द-बुर्द किये जाने की आशंका तथा पूर्ण संभावना है अत: मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेशित किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किया कि खातेदार की स्वुद काश्त	

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील
	के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता।	
	उभयपक्ष बहस को आ सावधानी पूर्वक मनन व अध्ययन उपरांत न्यायालय की यह finding है कि प्रथम दृष्टया ~~बाद~~ प्रार्थनापत्र तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्क एवं कथन स्वीकार योग्य है। तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। साथ ही सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे ~~भी~~ होने के कारण विवादित आराजी ख.न. 117। रकबा 0.79 है, ख.न. 1218, ख.न. 170, व 184 कुल 4 कुल किता 1.73 है। भूमि पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो जो मूल वाद। प्रार्थना पत्र के फैसले तक जारी रहेगी। अप्रार्थीगण 1 ता 5 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर आदेशित किया जाता है उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द, रहन, बेचान, दान, वसीयत, आदि नहीं करे।	
	अतः प्रार्थनापत्र फैसल शुमार होकर नत्थी मिसल हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर)	